न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 34/2019 (2019/00249) दर्ज दिनांक 04.10.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. नाथू पिता श्रीराम भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भैरू पिता श्रीराम भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. दोला पिता श्रीराम भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रतन पिता श्रीराम भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. शिव पिता कालू भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भंवर पिता कालू भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. किशन पिता कालू भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. मु0 हगामी बेवा श्रीराम भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. मु0 गंगा बेवा कालू भील निवासी सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपालसिंह पिता रणजीतसिंह राजपुत निवासी छापरी हाल निवास सुरजपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——विपक्षीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री संतोष पारीक
अधिवक्ता विपक्षी:–श्री मनोहर लाल बापना

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–23.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] कि राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के [illegible] खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 906 रकबा 0.26 [illegible] अन्य आराजियात के [illegible] राजस्व ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के खाता संख्या 53 संवत् [illegible] 2075 की जमाबंदी में अभिलिखि है। उक्त आराजी चाह संख्या 913 से सिंचित होती है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी चाह में 1/2 हक व हिस्सा विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 906 व आराजी चाह संख्या 913 में सदैव से आवागमन हर प्रकार के साधनों से विपक्षी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 887 रकबा 0.04 हे0 व आराजी संख्या 911 रकबा 0.05 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता से होकर निरन्तर करता चला आ रहा है। आराजी संख्या 887 व 911 किस्म गे0मु0रास्ता विपक्षी के खातेदारी अधिकार में होने से विपक्षी ने उक्त गे0मु0रास्ता में दिनांक 20.12.2018 को अवरोध कारित करते हुए रास्ता बन्द कर दिया, जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 906 व आराजी चाह संख्या 913 में आवागमन नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर आवागमन करीब 50 वर्षो से करते चले आ रहे है। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता ही सरल, सुगम व सुविधाजनक है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 887 रकबा 0.04 हे0 व आराजी संख्या 911 रकबा 0.05 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता को विपक्षी की खातेदारी से विलोपित करते हुए मुआवजा प्रतिकर राशि जो माननीय न्यायालय नियमानुसार निर्धारित करते हुए प्रार्थीगण से विपक्षी संख्या 1 को दिलाई जावें तथा राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 पेरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात् का स्थित होना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार किया है। इसी प्रकार चरण संख्या 2, 3, 4 को झूठा व कपोलकल्पित बता प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/20/569 दिनांक 11.09.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि ग्राम सुरजपुरा के आराजी नं0 887 रकबा 0.04 हे0, आराजी नं0 911 रकबा 0.05 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता दर्ज होकर अप्रार्थी गोपाल सिंह के नाम दर्ज रेकार्ड है।

– यह कि आराजी नं0 887 व 911 पर वर्तमान में खातेदार द्वारा रास्ता बंद किया हुआ है।

– यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता भी है।

– यह कि वर्तमान में प्रार्थी बिलानाम आराजी नं0 965 में से होकर आराजी नं0 888 गै0मु0पाल से होकर बिलानाम आराजी नं0 891 से होकर स्वयं की खातेदारी आराजी नं0 902, 901, 903, 905, 906, 913 में आवागमन किया जा रहा है।

– यह कि उक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नं0 965 रकबा 0.84 हे0 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 [illegible] 0.29 हे0 गे0मु0पाल से होते हुए बिलानाम आराजी नं0 891 रकबा 0.17 हे0 भूमि में [illegible] हे0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। जिससे प्रार्थी [illegible] भूमि में आवागमन कर सकेगा। जिसमें से आराजी नं0 888 रकबा 0.29 हे0 गे0मु0पाल को छोड़ने के उपरान्त शेष रही बिलानाम आराजी नं0 965 रकबा 0.84 हे0 में से 0.0[illegible] हे0 तथा बिलानाम आराजी नं0 891 रकबा 0.17 हे0 भूमि में से 0.0150 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
[illegible]पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अर्थात रास्ते में 0.0350 हे0 भूमि प्रभावित होगी, ग्राम सुरजपुरा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 1,91,691/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त 0.0350 हे0 भूमि की मालियत 6710/— रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 13420/— होती है।

—यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते व बिन्दु संख्या 5 में बताये गये वैकल्पिक रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

—यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जो अधिक लम्बा व रास्ते में बिलानाम खातेदारी भूमि अधिक प्रभावित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

—यह कि उक्तानुसार बिन्दु संख्या 5 में दर्शाया गया रास्ता सुलभ व लघुत्तम मार्ग रास्तो हेतु उचित है जिससे प्रार्थी स्वयं की आराजियात में प्रवेश कर सकेगा।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवकात ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नं0 965 रकबा 0.84 हे0 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 888 रकबा 0.29 हे0 गे0म0ुपाल से होते हुए बिलानाम आराजी नं0 891 रकबा 0.17 हे0 भूमि में से 0.0150 हे0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। जिससे प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि में आवागमन कर सकेगा। जिसमें से आराजी नं0 888 रकबा 0.29 हे0 गे0मु0पाल को छोड़ने के उपरान्त शेष रही बिलानाम आराजी नं0 965 रकबा 0.84 हे0 में से 0.02 हे0 तथा बिलानाम आराजी नं0 891 रकबा 0.17 हे0 भूमि में से 0.0150 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई हे, अर्थात रास्ते में 0.0350 हे0 भूमि प्रभावित होगी, ग्राम सुरजपुरा की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 1,91,691/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त 0.0350 हे0 भूमि की मालियत 6710/— रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 13420/— होती है। अत उक्तानुसार नवीन रास्ता [illegible] जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 34 / 2019 (2019 / 00249)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नं0 965 रकबा 0.84 हे0 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 888 रकबा 0.29 हे0 गे0म0पाल से होते हुए बिलानाम आराजी नं0 891 रकबा 0.17 हे0 भूमि में से 0.0150 हे0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। अर्थात रास्ते में 0.0350 हे0 भूमि प्रभावित होगी उक्तानुसार भूभाग में से कम करते हुए रास्ते के भूभाग को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज अभिलेख किया जावे तथा उक्त दोनों रास्ते के भूभाग की प्रतिकर राशि किसी भी पक्ष को एक—दूसरे से अदा नहीं करावें। प्रार्थीगण को बिलानाम आराजी नं0 965 रकबा 0.84 हे0 में से 0.02 हे0 तथा आराजी नं0 888 रकबा 0.29 हे0 गे0म0पाल से होते हुए बिलानाम आराजी नं0 891 रकबा 0.17 हे0 भूमि में से 0.0150 हे0 भूमि अर्थात् कुल 0.0350 हे0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराते हुए उसका अंकन राजस्व नक्शे व रेकार्ड में मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम रास्ते के रुप में किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा उक्तानुसार बिलानाम आराजी सं. 965 एवं 891 में से देय रास्ते के भूभाग 0.0350 हे. भूमि की प्रतिकर राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार मालियत से दुगुनी राशि 13420/—राजकोष में जमा की जावे। तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर उक्त पारित आदेश की पालना उक्तानुसार राजस्व नक्शे व रेकार्ड में सुनिश्चित् करें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner